



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17092022-238906
CG-DL-W-17092022-238906

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, सितम्बर 4— सितम्बर 10, 2022, शनिवार/भाद्र 13— भाद्र 19, 1944
No. 21] NEW DELHI, SEPTEMBER 4— SEPTEMBER 10, 2022, SATURDAY/BHADRA 13—BHADRA 19, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

का.नि.आ. 55.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2008 का अधिकांश करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ उपाबन्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:-** उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं:-** कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)
ज्येष्ठ लेखा अधिकारी (2022)	2108* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : लेखा अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखा अधिकारी का संयुक्त संख्याबल 2108 है। संयुक्त संख्याबल का 80 % ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के स्तर पर संचालित किया जाना है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (Rs 56100- 177500)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति के द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन स्तर -9 (रु. 53100-167800) में लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहाँ अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों को प्रोन्नति किए जाने पर विचार किया जा रहा हो, उन मामलों में उनके ज्येष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति उनकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा महानियंत्रक - सदस्य (3) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) - सदस्य (4) रक्षा लेखा संयुक्त वरिष्ठ महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक अथवा प्रधान लेखा नियंत्रक (कारखाना) अथवा प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार अथवा रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा नियंत्रक (कारखाना) अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार - सदस्य विभागीय पुष्टिकरण समिति: (1) रक्षा लेखा महानियंत्रक - अध्यक्ष (2) अपर वित्तीय सलाहकार अथवा उप वित्तीय सलाहकार,	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	रक्षा मंत्रालय (वित्त) – सदस्य	
(3)	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा नियंत्रक (कारखाना) अथवा रक्षा लेखा नियंत्रक अथवा अथवा एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य।	

[फा. सं. 9(2)/डी.ए.डी./c/2022]

वेदवीर आर्य, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE**(Finance Division)**

New Delhi, the 1st September, 2022

S.R.O. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department namely:-

1. **Short title and commencement:** - (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix:** -The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualification etc.:** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (12) of the said Schedule.

4. **Disqualifications:** - No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-serviceman and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of posts (2)	Classification (3)
Senior Accounts Officer (2022)	2108* *Subject to variation dependent on workload Note: Combined strength of Accounts Officer & Senior Accounts Officer is 2108. 80% of the combined strength is to be operated at the level of Senior Accounts Officer.	General Central Services, (Group 'A') Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix (4)	Whether selection or non-selection post (5)	Age limit for direct recruits (6)
Level-10 in the pay matrix (Rs 56100-177500)	Selection	Not Applicable

Educational & other qualifications required for direct recruits. (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. (8)	Period of probation, if any. (9)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. (10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation\absorption, grades from which promotion or deputation \ absorption to be made. (11)	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition. (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)
PROMOTION:- Accounts Officer in the level -9 in the pay matrix (Rs 53100-167800) with two years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	Departmental Promotion Committee for considering the promotion consisting of :- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman (2) Controller General of Defence Accounts - Member (3) Additional Financial Advisor or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance) -Member (4) Sr. Joint Controller General of Defence Accounts or Principle Controller of Defence Accounts or Principal Controller of Accounts (Factories) or Principal Integrated Financial Adviser or Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller of Finance & Accounts or Integrated Financial Adviser - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of :- (1) Controller General of Defence Accounts - Chairman (2) Additional Financial Adviser or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance) - Member (3) Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Finance and Accounts (Factories) or Controller of Defence Accounts or Integrated Financial Advisor - Member	
---	---	--

[F. No. 9(2)DAD/c/2022]

VEDVEER ARYA, Jt. Secy. & Addl. FA (R&D)

रक्षा उत्पादन विभाग

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

का.नि.आ. 56.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी, चेन्नई को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

आयुध वस्त्र निर्माणी
आवडी, चेन्नई,
तमिलनाडु-600054

[फा. सं. 5(2)/2022-रक्षा (रा.भा.-2)]

अनुराग बाजपेई, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION

New Delhi, the 5th September, 2022

S.R.O. 56.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Ordnance Clothing Factory, Avadi, Chennai more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Ordnance Clothing Factory
Avadi, Chennai
Tamilnadu- 600054

[F. No. 5 (2) /2022-D (OL-2)]

ANURAG BAJPAI, Jt. Secy.